

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 1/2021

जीसीएमएस संख्या: 2021/3

राजवीर पुत्र नारायण सिंह जाति लोधा निवासी ग्राम बीलपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर

वादी

बनाम

1. मुन्नीदेवी पत्नी नबाब सिंह जाति लोधा निवासी ग्राम बीलपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर
जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम बीलपुर
तहसील मनियां जिला धौलपुर

2. पदमसिंह पुत्र उदयराम
3. लालजीत पुत्र उदयराम
4. रामनाथ पुत्र उदयराम
5. हेमसिंह पुत्र उदयराम
6. रूमादेवी पत्नी उदयराम
7. ताराचंद पुत्र बीधाराम
8. जगदीश पुत्र बीधाराम
9. नाहरसिंह पुत्र बीधारा
10. बिजेन्द्र सिंह पुत्र बीधाराम
11. कैलाशी पुत्र कल्याण
12. नरेन्द्र सिंह पुत्र देवलाल
13. ताराचंद पुत्र पाचिया
14. श्यामलाल पुत्र पाचिया
15. साहबसिंह पुत्र पाचिया
16. बच्चूसिंह पुत्र अंगद
17. साहबसिंह पुत्र अंगद
18. बदनसिंह पुत्र अमरसिंह
19. मेघसिंह पुत्र अमरसिंह
20. ममता पुत्री अमरसिंह
21. यशपाल पुत्र अमरसिंह
22. विजयपाल पुत्र अमरसिंह
23. सुनील पुत्र अमरसिंह
24. रामरुनेही पत्नी अमरसिंह
25. ओमवती पुत्री काशीराम
26. गोकुल पुत्र काशीराम
27. गोधन पुत्र काशीराम
28. चन्द्रावती पुत्री काशीराम
29. जौम सिंह पुत्र काशीराम
30. देवचंद पुत्र काशीराम
31. दिमान सिंह पुत्र काशीराम
32. भूरा पुत्र फतेहसिंह जाति गुर्जर निवासी सूआ का बाग तहसील मनियां जिला धौलपुर
33. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर तामील जरिये प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान में एस.बी.आई. शाखा धौलपुर
34. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मनियां भूस्वामी

असल प्रतिवादीगण

जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम बीलपुर
तहसील मनियां जिला धौलपुर


उपसहायक अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

निर्णय

दिनांक 07.07.2025

वादी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 01.01.2021 को एक राजस्व वाद का दावा
बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक

उपसहायक अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

28.02.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार मनियां से प्राप्त प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 651 दिनांक 04.07.2024 को विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये हैं। तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर वकील वादी की बहस सुनी गई, वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार मनियां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 708 स्थिति ग्राम बीलपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक- पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाय है:-


खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	मालिक
1. राजवीर पुत्र नारायणसिंह जाति लोधा सा0 देह खातेदार	708/1	0.0272 है0	राजवीर
2. ओमवती पुत्री काशीराम, गोकुल पुत्र काशीराम, गोधन पुत्र काशीराम, चन्द्रावती पुत्री काशीराम, जौम सिंह पुत्र काशीराम, देवचंद पुत्र काशीराम, दिमान सिंह पुत्र काशीराम हि0 प्रत्येक 58/6177 -58/6177 भाग सा0 तगावली, कैलाशी पुत्र कल्याण हि0 537/6177, जगदीश पुत्र बीधाराम हि0 180/6177, ताराचंद पुत्र पांचियाराम हि0 739/6177, ताराचंद पुत्र बीधाराम हि0 180/6177, नाहरसिंह पुत्र बीधाराम हि0 180/6177, पदमसिंह पु उदैराम हि0 51/6177, पप्पू पुत्र उदैराम हि0 905/6177, रामनाथ पुत्र उदैराम हि0 51/6177 लालजीत पुत्र उदैराम हि0 51/6177, विजेन्द्रसिंह पुत्र बीधाराम हि0 180/6177, श्यामलाल पुत्र पांचियाराम हि0 739/6177, साहबसिंह पुत्र अंगद हि0 67/6177, साहबसिंह पुत्र पांचिया हि0 537/6177, हैमसिंह पुत्र उदैराम हि0 51/6177 (विलारहन) डरेन्द्र पुत्र देवलाल हि0 537/6177 में से हि0 107/6177 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धौलपुर बदनसिंह पुत्र अमरसिंह हि0 76/6177, मेघसिंह पुत्र अमरसिंह हि0 76/6177 ममता पुत्री अमरसिंह हि0 76/6177 यशपाल पुत्र अमरसिंह हि0 76/6177, रामरनेही पत्नी अमरसिंह हि0 76/6177, विजयपाल पुत्र अमरसिंह हि0 76/6177, सुनील पुत्र अमरसिंह हि0 76/6177 राहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धौलपुर जातिगण लोधा सा0 देह भूरा पुत्र फत्ते हि0 136/6177 जाति गुर्जर सा0 सूआ का बाग खातेदार।	708/2	0.6177 है0	सा0 देह

कुल किता 2 रकवा 0.6449 हैक्टेयर बाकै ग्राम बीलपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर कुल लगान 3.87 रुपये।


उपस्थान अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक- पृथक कायम विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। बैंक के इन्द्राज मुताबिक विभाजन प्रस्ताव बदस्तूर रहेंगे। आराजी के कुल लगान 3 रुपये 87 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 74 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलथर होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
उपखण्डाधिकारी पुदे न
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धीलपुर (राज०)